झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 08.09.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री बंधु तिर्की स0वि0स0	विदित हो कि झारखण्ड की राजधानी राँची में झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण हेतु काँके प्रखण्ड के मौजा-मनातू, चेड़ी, सुकुरहुट्टु में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के आलोक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- **F42-1/2008-Desk (U),** दिनांक- 13.06.2008 द्वारा स्थल चयन समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा उक्त स्थल को विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु उपयुक्त माना एवं संस्तुत किया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कम-से-कम 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई जो संबंधित राज्य सरकार को निःशुल्क प्रदान की जानी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना निर्माण परियोजना हेतु प्राक्कलन की गणना की गई, जिसकी कुल 6,04,20,70,621.00 (छः सौ चार करोड़, बीस लाख,सत्तर हजार, छः सौ एक्कीस) रूपये की राशि	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		विस्थापित रैयतों को मुआवजा के रूप में वितरण किया जाना है। राज्य सरकार और झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बीच समाधान नहीं निकलने से वहाँ के प्रभावित रैयत बेवजह पिस रहे हैं। अधिग्रहण से लगभग 200 परिवार प्रभावित हो रहे है, जिसमें 70 परिवार घर से भी विस्थापित हो रहे हैं। अतः अधिग्रहित भूमि के प्रभावित रैयतों का मुआवजा एवं पुनर्वास की समूचित व्यवस्था कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	
02-	प्रो० स्टीफन मराण्डी स०वि०स०	निम्नतर पद से उच्चतर पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत् प्रभार देने के पूर्व वरीयता सह- योग्यता अथवा लागू सम्वर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों की सूची बनाते हुए आरक्षण नीति का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 442, दिनांक- 25.01.2006 में दिशा निर्देश भी जारी है। परन्तु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण संस्थान में आरक्षण के अनुरूप एक भी अनुसूचित जन जाति के शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। अतएव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जनजाति के शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रतिनियुक्त करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
03-	श्री निरल पुरती स०वि०स० श्री सुखराम उराँव स०वि०स०	पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझगाँव विधान सभा अन्तर्गत तांतनगर, मंझारी एवं हाटगम्हरिया प्रखण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संवेदक मेसर्स एकचक्र इलेक्ट्रिक्ल वर्क्स, हैदराबाद को आवंटित किया गया था,	ऊर्जा

कृ०पृ030-

01.	02.	03.	04.
		लेकिन उक्त संवेदक द्वारा अभी तक अधिकतर गाँवों/टोलों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है तथा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रखण्डों के गाँवों/टोलों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने तथा संवेदक द्वारा किये गये कार्यों की जाँच हेतु मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री दशरथ गागराई स0वि0स0 श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत खूँटपानी अंचल के आबुरू गाँव में सफेद पत्थर (क्वार्ट्ज) खनन हेतु **मेसर्स केयूर सिन्हा** को वर्ष 2009 में लीज आवंटित किया गया है। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि इसके लिए गलत ढंग से ग्रामसभा कर खनन हेतु सहमति दर्शायी गयी है। लीज आवंटन के 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। ग्रामीणों द्वारा इस लीज आवंटन का समय-समय पर विरोध किया जाता रहा है। संबंधित लीज क्षेत्र यहाँ के आदिवासियों के धार्मिक महत्त्व का केन्द्र है, जिसपर खनन कार्य करने से इनके आस्था पर ठेस पहुँचेगी। अतएव उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मेसर्स केयूर सिन्हा को प्रदत्त लीज आवंटन को रद्द करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	खान एवं भूतत्व
05-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	वर्ष 1962-63 के आसपास BSL (SAIL) हेतु तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई बोकारो के स्थानीय निवासियों (बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्थापितों) की वैसी जमीन, जो आज तक BSL (SAIL) द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई है, और अपने मूल स्वरूप में है तथा जिस पर पीढ़ियों से विस्थापित परिवार रह रहे हैं।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि उन सभी जमीनों को उक्त विस्थापित परिवारों को वापस करवाया जाय क्यों कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1994 के अनुसार जब 30 वर्षों तक जमीन का प्रयोग नहीं होता है, तो रैयत को अधिग्रहित भूमि वापस करने का प्रावधान था और वर्त्तमान वर्ष 2013 के नए संशोधित अधिनियम में उक्त समय-सीमा मात्र 5 वर्ष ही है।	

राँची,
दिनांक- 08 सितम्बर, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-34/2021-2084...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 07/09/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व नियंत्रण एवं भूमि सुधार विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-34/2021-2084...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 07/09/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

07/09/21

सुभाष/-